	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो फिरा हुक्म की तामील में जारी हुए
२७/०१/२५	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र O1 R 9 CPC व धारा 151 CPC प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी २ लगायत ५ द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक २ लगायत ५ खातेदार कृषक ही नहीं है अतः वादी, प्रतिवादी कृ० २ लगायत ५ के विरुद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी व प्रतिवादी पारिवारिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी १ लगायत ५ आपके २ बीघा के हिस्से से वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादी द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि आपके द्वारा इस बाबत प्रार्थनापत्र थानाधिकारी कैथून को भी प्रस्तुत किया गया था।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
	वादी का कथन है कि प्रतिवादी 2 लगायत 4, प्रतिवादी क्रम (1) के वारिसान है तथा प्रतिवादी क्रम-1 के हिस्से की जमीन के हकदार है तथा वादी के अधिकारों व हितों को प्रभावित करने के लिए सीधे तौर से सम्बन्ध रखते है अतः उन्हें न्यायहित में पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस वकुलाय फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। हमने धारा 188 RTA का सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 188 RTA के अनुसार - " Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो फिरस हुक्म की तामील में जारी हुए
4	may bring a suit...."	

हमने O1 R9 का भी सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। O1 R9 के अनुसार — "कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहाँ तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं, अधिकारों एवं हितों का सम्बन्ध है।

स्पष्टतया धारा 188 में Land holder or Any other person शब्द का प्रयोग किया गया है, खातेदार शब्द का नहीं।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

अतः प्रतिवादीगण 2 लगायत 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O1 R9 व धारा 151 CPC अस्वीकार कर दाखिल किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 31/01/25 को पेश हो 27/01/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	